

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 590  
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 14-06-2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री लक्ष्मण पिठखातरा

जति मीजा उम्र व्यह नि० वाडी तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत राजमौर्या दिनांक 14-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 सेक्टर के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मीजा वाडी पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 215 पर आराजी नं० 2167/2011 कुल 3 बीघा बिस्वा किता 1 योग रकबा 3 बिघा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि कास्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी खातरा पिठखातरा नि० वाडी ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम वाडी के खसरा नं० 2129 रकबा 7.30 बीघा बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 7 की जमाबंदी सम्बन्ध 2071-74 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार कास्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मीजा वाडी में स्थित खाता संख्या 215 पर आराजी नं० 2167/2011 रकबा 3-00-24 कुल किता 1 कुल रकबा 3-00-24 की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मीजा वाडी में स्थित खाता संख्या 215 पर आराजी नं० 2167/2011 रकबा 3-00-24 कुल किता 1 कुल रकबा 3 बिघा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक राजमौर्या के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 1000/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर